तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टि0ए0/1235/2004/सवाईमाधोपुर बजरंगलाल बनाम भम्बू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितिः–

1–श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांट उपथित।
2–रेस्पोडेंट सं01 की ओर से बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर इकतरफा कार्यवाही की गयी।
3–श्रीमति पूनम माथुर अति0राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक4–10–10

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 169/2003 पारित निर्णय दिनांक 23–2–2004विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी/ अपीलांट की ओर से तहत न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश कर वाद में अंकित तथ्यों अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किय। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–3–2003 को दावा वादी डिक्री किया गया, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील, न्यायालयय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष शीर्षक भम्बू बनाम बजरंग प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–2–2004 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहत न्यायालय को कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अभिभाषकगण उभयपक्ष की अपील उप बहस सुनी गई ।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से सुनवाई करते हुये विवाद्यक वार निर्णय दिनांक 26–3–2003 को पारित किया है लेकिन अधीनस्थ प्रथम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टि0ए0/1235/2004/सवाईमाधोपुर बजरंगलाल बनाम भम्बू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही अपील को अविधिक रुप से आंशिक रुप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 आर0बी0जे0 पेज 603 मधुकर व अन्य बनाम संग्राम व अन्य में अभिमत पारित किया है कि अपीलीय न्यायालय को प्रत्येक तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचित करते हुये निर्णय पारित करना चाहिए। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णयव डिक्री दिनांक 26–3–2003 को बहाल रखा जाये। 5– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट्स की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है तर्क सम्मत एवं सागर्भित है, जिसमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया। 6– योग्य अधिवक्तागण उभपयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट का तहत न्यायालय में 88–89 आरटीए के तहत वाद यह था कि साबिक नम्बर 3611 रकबा 8.4 बीघा से हाल नम्बर 6835/1.22 है0 बनाये जा कर वादी की खातेदारी में दर्ज किये है जबकि वादी अपने साबिक खसरा नम्बर के पूर रकबे 8बीघा 4 बिस्वा पर कायम है। इस प्रकार उसका रकबा साबिक के मुकाबले हाल में 53 एयर कम कर दिया है और खसरा नम्बर 6835/8025 का रकबा 0.30 है. बना कर इसे प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया है। है। तहत न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट को इस 30 एयर भूमि पर खातेदारी दिये जाने के आदेश दिये है। दूसरी ओर रेस्पोडेंट 4 बीघा 12 बिस्वा का खसरा नम्बर 2986 में खातेदार है और मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इससे बनाये हाल नम्बरान 6834/0.19 है. के मुकाबले 1.15 है. दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु उसके नाम 1.21 है.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टि0ए0/1235/2004/सवाईमाधोपुर बजरंगलाल बनाम भम्बू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज हो गई हे। अतः 6 एयर भूमि ही उसके रकबे से कम की जा सकती है लेकिन तहत न्यायालयय ने 0.30 एयर भूम कर दी है, इससे पक्षकारों के मध्य और विवाद बढ गया है। इस प्रकार कमी रकबे की पूर्ति मौके पर पैमाइश कर ही की जा सकती है क्योकि यदि 30 ऐयर भूमि रेस्पोडेंट से दी जाती है तो भी वादी की 23 ऐयर भूमि की पूर्ति नही हो पा रही है। इससे स्पष्ट है कि जमीन अन्य खसरा नम्बरान में भी गई है, अतः यह मौके पर पैमाइश से ही स्थापित हो सकता है कि वादी की जमीन किन किन पडौसी खातेदारों के खाते में दर्ज है। इस हेतु साबिक व नवीन खसरा नम्बरान की स्थिति ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि एक पक्षकार की कमी रकबे की पूर्ति करने के लिए दूसरे पक्षकार को हॉनि पहुंचाना भी न्याय संगत नही है। मौका रिपोर्ट में भी वादी को सुना नही गया है। ऐसी स्थिति उक्त विवेचन के मद्दे नजर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक रुप से स्वीकार प्रकरण पुनः निर्णय हेतु उभयपक्ष को सुना जाकर व उभय पक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जा कर साबिक व हाल नक्शों का मिलान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। चूँकि रकबे की कमी पूर्ति का प्रकरण है सही तरीके से निस्तारण हेतु अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है, उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण में क्या त्रुटि है, इसे बताने में अपीलांट असमर्थ रहा है, अतः हम विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-2-2004 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाते हैं। 7- परिणामस्वरुप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। **(सुनील कुमार शर्मा)** **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य** **सदस्य**	